महत्वपूर्ण / आवश्यक

संख्या-3077 / जी०एस० / शिक्षा / A4-136 / 2017

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव श्री राज्यपाल।

सेवा में,

1– अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग / तकनीकी शिक्षा विभाग / चिकित्सा शिक्षा विभाग / संस्कृत शिक्षा / आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग।
उत्तराखण्ड शासन।

2– कुलपतिगण,
उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून / उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, देहरादून / हे०न०ब० चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून / उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार / श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल / कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।

राज्यपाल / कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड — देहरादून : दिनांक : 22 नवम्बर, 2017

विषयः– विभिन्न संस्थानों / महाविद्यालयों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में सम्बद्धता / सम्बद्धता विस्तारण एवं सीट वृद्धि के प्रस्ताव समय से कुलाधिपति सचिवालय को प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कतिपय संस्थानों की पत्रावलियां विगत वर्षो की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु इस सचिवालय में प्राप्त हुई हैं, इसमें से कतिपय एक सत्र से लेकर विगत 05 या अधिक पूर्व सत्रों की हैं, जिससे सम्बद्धता की वर्तमान व्यवस्था में प्रथम दृष्टया मुख्य रूप से निम्न दो विसंगतियों पर मा० राज्यपाल / कुलाधिपति जी द्वारा संज्ञान लिया गया है :–

1– इन संस्थानों में प्रवेशित छात्रों को यह ज्ञात नहीं होता है कि संस्थान को सम्बन्धित विषय की सम्बद्धता प्राप्त नहीं है। यदि छात्रों को सम्बद्धता प्राप्त न होनें की जानकारी होती तो शायद वे अन्य किसी अच्छे संस्थान में प्रवेश लेते। संस्थानों द्वारा भी यह भ्रम फैलाया जाता है कि उनको सम्बद्धता प्राप्त है और वे सम्बन्धित शैक्षिक सत्र में छात्रों को प्रवेश देते हैं, जबकि उन्हे उस सत्र की सम्बद्धता प्राप्त ही नहीं होती है जो कि वर्तमान व्यवस्था के साथ खिलवाड़ व छात्र–छात्रों को गुमराह कर किया जाता है और इस उद्देश्य से वे लोगों से शुल्क भी ले रहे हैं। यह एक प्रकार से दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है।

2– जब पूर्व वर्षो की सम्बद्धता के प्रकरण पर विचार किया जाता है तो यह ज्ञात होता है कि पूर्व निरीक्षण समिति की कमियों का निराकरण व मानकों की पूर्ति तत्समय न कर केवल वर्तमान निरीक्षण समिति द्वारा किया जाता है जिसका आशय यह है कि तत्समय संस्थान / कॉलेज में मानकानुसार आधारभूत सुविधायें उपलब्ध नहीं थी, जो कि नियमानुसार सही नहीं है।

कुलाधिपति महोदय द्वारा इन तथ्यों का भी संज्ञान लिया है कि प्रायः शासन एवं विश्वविद्यालय से कतिपय संस्थानों / महाविद्यालयों के अस्थाई सम्बद्धता के प्रस्ताव काफी विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने से संस्थानों के सम्बद्धता प्रस्तावों का समय से निस्तारण नहीं हो पा रहा है, जिस कारण जहां एक ओर संस्थानों के सम्बद्धता प्रकरण लम्बित हो रहे हैं वहीं दूसरी ओर उन सत्रों में

Registrar / P.S

Vice Chancellor

Vice-Chancellor
Date 4/12/17
Dehradun

क्रमशः—2 / –

संस्थानों में अध्ययनरत् छात्रों के प्रवेश भी विधिपूर्ण नहीं हैं, जो छात्रहित के दृष्टिगत उचित नहीं है। शासन व विश्वविद्यालय स्तर पर व कई प्रकरणों में संस्थान द्वारा भी कमियों के निराकरण में अत्यधिक विलम्ब के दृष्टिगत परिलक्षित हुआ है कि कभी-कभी शैक्षिक सत्र बीत जाने के पश्चात भी सम्बद्धता प्रस्ताव कुलाधिपति सचिवालय को प्राप्त नहीं हो पाते हैं, जबकि छात्रों के हित में बिना सम्बद्धता प्राप्त किये ही विश्वविद्यालय द्वारा उनकी परीक्षाये इत्यादि सम्पन्न करा ली जाती हैं, जो कि एक त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया है।

शिक्षण संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्रस्तावों हेतु उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित समय सीमा के नियमों का भी सुचारू अनुपालन नहीं किया जा रहा है। समयान्तर्गत सम्बद्धता निर्गत न होने के फलस्वरूप विभिन्न संस्थानों द्वारा मा0 कुलाधिपति सचिवालय, शासन एवं विश्वविद्यालय को पक्षकार बनाते हुए मा0 उच्च न्यायालय मे याचिकाएं दायर की जाती हैं, जिससे मा0 कुलाधिपति सचिवालय, शासन व विश्वविद्यालय की गरिमा प्रभावित होती है और अतंतः मा0 न्यायालय के निर्णय के अनुक्रम में छात्रहित में सम्बद्धता आदेश निर्गत किये जाते हैं। शासन द्वारा कतिपय निजी संस्थानों के सम्बद्धता प्रस्तावों में कमियां का उल्लेख करते हुए उस पर शासन की संस्तुति प्रदान किया जाना सम्भव न होना बताते हुए प्रस्ताव कुलाधिपति सचिवालय में प्रस्तुत किये जा रहे है, जो कि उचित नहीं है साथ ही कतिपय राजकीय महाविद्यालयों में भी कमियों का निराकरण न करते हुए प्रस्ताव उपलब्ध किये जा रहे है, जबकि राजकीय महाविद्यालय होनें के कारण इन कमियों का निराकरण राज्य/शासन से ही किया जाना होता है।

इस सम्बन्ध में उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 100/XXIV(6)/2008 दिनांक 15 दिसम्बर, 2008 द्वारा सत्र 2010-11 से सम्बद्धता प्रस्ताव के लिए बनाई गई समय सारणी व तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 133/XLI-1/2012-सं-3 दिनांक 14 फरवरी, 2012 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सम्बद्धता प्रस्ताव के निस्तारण हेतु समय सीमा का निर्धारण किया गया, अधिकांश प्रकरणों में इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या 649/XXIV(3)/2016-01(30)/2015 दिनांक 14 दिसम्बर 2016 के द्वारा सम्बद्धता प्रकरणों पर समयबद्ध रूप से कार्यवाही करने की व्यवस्था निर्धारित की गई है साथ ही इस शासनादेश के बिन्दु संख्या-01 में संस्थान में मानक पूर्ण होनें की दशा में विश्वविद्याल द्वारा सम्बद्धता के लिए प्रस्तावित पाठ्यक्रम में न्यूनतम तीन वर्ष अथवा पाठ्यक्रम की अवधि (जो कम हो) के लिए सम्बद्धता प्रदान किये जाने का उल्लेख है। इसके अनुसार भी कार्यवाही परिलक्षि नहीं हो रही है।

उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय द्वारा कॉलेजों सम्बद्धता) विनियम, 2009 के 3.4.10 में व्यवस्था है कि कॉलेज किसी भी छात्र को सम्बद्धता प्राप्त की प्रत्याशा में दाखिला नहीं देगा। उक्त के साथ-साथ शासनादेश संख्या 649/XXIV(3)/20 01(30)/2015 दिनांक 14 दिसम्बर, 2016 के बिन्दु (ix) प्रवेश तथा शुल्क में भी यह स्पष्ट व्यवस्था गई है कि कोई भी महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान, सम्बद्धता प्राप्त करने की प्रत्याशा में किसी पाठ्यक्रम में छात्र-छात्रा को प्रवेश नहीं देगा। इसी प्रकार एन0सी0टी0ई0 के प्राविधानों में भी स्पा कि सम्बद्धता प्राप्ति के बिना संस्थान/कॉलेज के छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जा सकता है जि अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं हो रहा है।

उक्त के अतिरिक्त उक्त शासनादेशों का अनुपालन न होनें व सम्बद्धता प्रस्ताव अत विलम्ब से प्राप्त होनें अथवा कई वर्षो बाद प्राप्त होनें के दृष्टिगत उच्चादेशों के क्रम में पूर्व में भी

क्रमशः—

सचिवालय के पत्र संख्या 5355/जी0एस0 शिक्षा/ दिनांक 18 मार्च, 2016 द्वारा भी सम्बद्धता प्रस्तावों पर सम्पूर्ण कार्यवाही 15 मई तक पूर्ण कर लिये जाने के निर्देश दिये गये हैं जिसके अनुरूप कार्यवाही भी शासन, विश्वविद्यालय व संस्थान द्वारा किया जाना परिलक्षित नहीं हो रहा है।

साथ ही यह भी दृष्टिगत हो रहा है कि विश्वविद्यालय द्वारा संस्थान का मात्र निरीक्षण हो जाने पर ही संस्थानों द्वारा सम्बन्धित पाठ्यक्रमों में छात्र-छात्राओं को प्रवेश बिना सम्बद्धता प्राप्त किये हुए दिया जा रहा है, अथवा संस्थान द्वारा शासन से सम्बन्धित पाठ्यक्रम में NOC प्राप्त करने के पश्चात ही सीधे छात्र-छात्राओं को प्रवेश दिया जा रहा है, जिससे प्रवेशित छात्रों को संस्थान की सम्बन्धित पाठ्यक्रम मे सम्बद्धता की वास्तविक स्थिति ज्ञात नहीं हो पाती है और जब तक छात्र को सम्बद्धता की वास्तविक स्थिति पता चलती है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। इससे स्पष्ट है कि विश्वविद्यालय व संस्थान द्वारा यू0जी0सी0 एवं अन्य नियामक संस्थान एन0सी0टी0ई आदि द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अन्तर्गत सम्बद्धता प्रकरणों पर कार्यवाही नहीं की जा रही है।

यह भी देखा जा रहा है कि संस्थानों द्वारा नियामक संस्था द्वारा निर्धारित व्यवस्था एव शैक्षिक योग्यता के विपरीत सीधे अपने स्तर पर फैकल्टी की नियुक्ति की जा रही है। तत्पश्चात संस्थान द्वारा उसे विश्वविद्यालय से अनुमोदन का अनुरोध किया जाता है। सत्र व्यतीत हो जानें पर विश्वविद्यालय द्वारा यह सूचित किया जाता है कि सत्र समाप्त हो गया है और तत्समय निरीक्षण मण्डल की निरीक्षित फैकल्टी को ही अनुमोदित माना जाय, जबकि सम्बन्धित फैकल्टी नियामक संस्था द्वारा निर्धारित योग्यता को पूर्ण नहीं करती है।

इस सम्बन्ध में दिनांक 04 अक्टूबर, 2017 को सचिव श्री राज्यपाल की अध्यक्षता में सम्पन्न अपर सचिव (तकनीकी/चिकित्सा शिक्षा) एवं संयुक्त सचिव (उच्च शिक्षा) व निदेशक (चिकित्सा शिक्षा) के साथ सम्पन्न हुई बैठक में यह निर्णय भी लिया गया है कि सत्र 2017-18 से संस्थानों को विश्वविद्यालय की संस्तुति पर मानक पूर्ण होनें की दशा में न्यूनतम तीन वर्ष अथवा पाठ्यक्रम की अवधि तक के लिए सम्बद्धता प्रदान की जाय। साथ ही सत्र 2017-18 के नये सम्बद्धता पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में विचार विमर्श करते हुए यह भी निर्णय लिया गया कि नये सम्बद्धता प्रस्तावों के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय को निर्देश दिये जायं कि सम्बद्धता प्रस्ताव के लिए Online affiliation system विकसित किया जाय। सम्बन्धित विश्वविद्यालय इसका Format तैयार करके उसे विकसित करेगा। और इस पर अनुमोदन शासन स्थित विश्वविद्यालय के प्रशासकीय विभाग द्वारा किया जायेगा तथा इसमें भरी गई सूचनाओं का निरीक्षण मण्डल द्वारा संस्थान का निरीक्षण के समय इन अभिलेखों का सत्यापन कराया जायेगा।

साथ ही एक ही संस्थान द्वारा दो अलग-अलग विश्वविद्यालयो से भिन्न-भिन्न विषयों में एक ही आधारभूत सुविधाओं पर सम्बद्धता प्राप्त कर रहे हैं, इन संस्थानों के सम्बन्ध में भी यह निर्णय लिया गया है कि यदि कोई संस्थान दो अलग-अलग विश्वविद्यालयों से एक ही आधारभूत सुविधाओ पर भिन्न-भिन्न विषयों में सम्बद्धता का आवेदन प्राप्त करता है तो दोनों विश्वविद्यालयों की एक संयुक्त निरीक्षण टीम बनाकर इन संस्थानो का औचक निरीक्षण कराया जाय। औचक निरीक्षण की आख्या के अनुसार विश्वविद्यालय की संस्तुति पर संस्थान के विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही पर विचार किया जा सकता है।

अतः यू0जी0सी0 एवं अन्य नियामक संस्थाओं यथाः एन0सी0टी0ई0 आदि के विनियमो के दृष्टिगत एवं शासनादेश संख्या 100/XXIV(6)/2008 दिनांक 15 दिसम्बर, 2008 व शासनादेश संख्या

क्रमशः—4/-

133/XLI-1/2012-सं-3 दिनांक 14 फरवरी, 2012 तथा इस सचिवालय के पत्र संख्या 5355/जी0ए0 शिक्षा दिनांक 18 मार्च, 2016 व शासनादेश संख्या 649/XXIV(3)/2016-01(30)/2016 दिनांक 14 दिसम्बर 2016 के क्रम में सम्बद्धता प्रकरणों पर समयबद्ध रूप से कार्यवाही करने के मा0 राज्यपाल/कुलाधिपतिमहोदय द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन की अपेक्षा के साथ ही राज्य सरकार की ओर से भी इसके अनुरूप कार्यवाही/निर्देश निर्गत किये जाने की अपेक्षा की गई है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के दृष्टिगत व सम्बद्धता प्रकरणों को समयबद्ध रूप से 15 मई तक पूर्ण कर लिए जाने के दृष्टिगत समस्त राज्य विश्वविद्यालयों से सम्बद्धता हेतु निम्नांकित कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है:-

1- सम्बद्धता चाहने वाले संस्थान/महाविद्यालयों द्वारा शासन के सम्बन्धित विभाग की NOC तथा नियामक संस्था (AICTE, NCTE etc.) की मान्यता स्वीकृति पत्र के साथ कम से कम शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होनें से 10 माह पूर्व अर्थात विलम्बतम 15 सितम्बर तक विश्वविद्यालय में आवेदन किया जायेगा, ताकि प्रस्ताव को पुनः परीक्षण हेतु शासन को प्रेषित किये जाने की अनिवार्यता न रहे।

2- विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सम्बन्धित संस्थान पाठ्यक्रम में सम्बद्धता प्राप्त किये बिना छात्र-छात्राओं को प्रवेश नहीं देगा यदि ऐसा तथ्य संज्ञान में आता है तो सम्बन्धित विश्वविद्यालय पदाधिकारी व संस्थान के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी विश्वविद्यालय व संस्थान की होगी।

3- विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय द्वारा कॉलेजों को सम्बद्धता) विनियम, 2009 के नियम-4.6.3 के अन्तर्गत निरीक्षण समिति में सरकार के उच्च/तकनीकी/कृषि/चिकित्सा शिक्षा विभाग का एक प्रतिनिधि, जो कि उपनिदेशक के स्तर से नीचे न हो, को नामित किया जायेगा। इस हेतु शासन में विश्वविद्यालय के प्रशासकीय विभाग विश्वविद्यालय को सम्बन्धित विभाग के निदेशालय (यथाः उच्च/तकनीकी/चिकित्सा शिक्षा जैसी भी स्थिति हो) के उप निदेशक के स्तर के अधिकारियों का पैनल विश्वविद्यालय को समयान्तर्गत प्रेषित करेगें ताकि विश्वविद्यालय अपने स्तर से उक्त प्राविधान के अन्तर्गत निरीक्षण समिति में सदस्य नामित कर सके। यदि पैनल में उल्लिखित महानुभाव निर्धारित समय के अन्तर्गत निरीक्षण हेतु उपलब्ध नहीं होते हैं, तो सम्बन्धित विश्वविद्यालय अपने स्तर से यू0जी0सी0 द्वारा निर्धारित उपनिदेशक स्तर के समकक्ष स्तर के किसी अधिकारी को, जो कि सम्बन्धित शिक्षा से जुड़ा हो, नामित कर सकेंगे।

4- तत्पश्चात विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय द्वारा कालेजों को संबद्धता) विनियम, 2009 व संशोधन विनियम, 2012 व शासनादेशों के अनुरूप शैक्षणिक संस्थानों/महाविद्यालयों को प्रस्तावित पाठ्यक्रम संचालन हेतु संबंधित विश्वविद्यालय से शैक्षणिक सत्र की स्थाई/अस्थाई सम्बद्धता प्राप्त किये जाने के अर्हता मानदण्ड/प्रक्रिया के तहत 15 नवम्बर तक, अर्थात सत्र प्रारम्भ होनें से 08 माह पूर्व तक निरीक्षण मण्ड़ल का गठन किया जायेगा। विश्वविद्यालय यह भी ध्यान रखेगा कि संस्थानों के निरीक्षण हेतु ऐसे महानुभावों को नामित न किया जाये जिनके द्वारा उन सम्बद्धता प्रस्तावों का बाद में परीक्षण कर उच्चादेशार्थ प्रस्तुत किया जाता है। विश्वविद्यालय द्वारा अपने स्तर से निरीक्षण मण्डल के समस्त सदस्यों को यू0जी0सी0, एन0सी0टी0ई0 आदि नियामक संस्था के मानकों से अवगत करायेगें। इस हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निरीक्षण मण्ड़ल गठित करते हुए सम्बन्धित नियामक संस्था के मानकों की सूची निरीक्षण मण्ड़ल के सदस्यों को प्रेषित करेगें।

5- विश्वविद्यालय द्वारा निरीक्षण समिति को इस आशय के स्पष्ट निर्देश दिये जायं कि संस्थान का भौतिक निरीक्षण करते हुए संस्थान मे उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं यथाः भूमि, भवन, मानकों के अनुसार विश्वविद्यालय से अनुमोदित फैकल्टी (राजकीय संस्थानों को छोड़कर), पुस्तकालय, फर्नीचर,

क्रमशः--5/-

प्राभूति/कार्यशील पूंजी, प्रयोगशाला आदि का निरीक्षण कर तद्नुसार प्रारूप में स्पष्ट सूचनायें अंकित करते हुए अपनी स्पष्ट संस्तुति प्रदान करें और इसी क्रम के अनुसार अभिलेखीय साक्ष्य निरीक्षण आख्या के साथ संलग्न किये जांय। किसी भी दशा में भ्रामक एवं अपूर्ण सूचनायें अंकित न की जाय। इसकी पूर्ण जिम्मेदारी निरीक्षण मण्डल के सदस्यों की होगी। अपूर्ण एवं भ्रामक सूचनाओं की स्थिति में सम्बन्धित निरीक्षण मण्डल के सदस्यों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। साथ ही निरीक्षण समिति की आख्या के प्रत्येक पृष्ठ पर एवं अस्थाई सम्बद्धता हेतु संस्थान द्वारा प्रस्तुत समस्त अभिलेखों को भी निरीक्षण मण्डल के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित व प्रमाणित किया जायेगा। निरीक्षण समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर, नाम, पता, पदनाम आदि स्पष्ट रूप से निरीक्षण आख्या में उल्लिखित होने आवश्यक हैं।

6– विश्वविद्यालय द्वारा तद्नुसार संस्थान का निरीक्षण कराकर निरीक्षण मण्डल की संस्तुति सहित सम्बद्धता प्रस्ताव 15 जनवरी तक अर्थात सत्र प्रारम्भ होनें से 06 माह पूर्व तक विश्वविद्यालय अधिनियम की व्यवस्था के अन्तर्गत मा0 कुलाधिपति जी की पूर्व स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाय, जिसकी एक प्रति शासन के सम्बन्धित विभाग (उच्च/तकनीकी/चिकित्सा शिक्षा विभाग जैसा भी हो) को भी तत्समय प्रेषित की जाय।

7– निरीक्षण मण्डल गठित करते समय विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय द्वारा कालेजों को संबद्धता) विनियम, 2009 की धारा–4.6 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा, जिसकी धारा 4.6.1 में प्रत्येक प्रस्तावित क्षेत्र के विषय के लिए एक विशेषज्ञ की व्यवस्था है।

8– नियामक संस्थाओं द्वारा निर्धारित जिन मानकों की पूर्ति शपथ–पत्र के माध्यम से किये जाने की व्यवस्था है, उन्ही मानकों की पूर्ति हेतु शपथ–पत्र प्रस्तुत किये जांय। संस्थान के भूमि, भवन, फैकल्टी, पुस्तकालय, फर्नीचर, प्राभूति/कार्यशील पूंजी, प्रयोगशाला आदि जैसे मूलभूत मानकों की पूर्ति शपथ–पत्र के माध्यम से कदापि न की जाय, अपितु इनका भौतिक सत्यापन उपरान्त वस्तुस्थिति सहित रिपोर्ट/आख्या दी जाय। इसलिए विश्वविद्यालय द्वारा निरीक्षण समिति की संस्तुति/आख्या तथा उसके संलग्नकों व अभिलेखीय साक्ष्यों का पुनः अपने स्तर पर परीक्षण किया जायेगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि संस्थान सभी मानकों की पूर्ति कर रहा है। और यदि संस्थान द्वारा किसी मानकों की पूर्ति करने में कोई कमी व त्रुटि परिलक्षित हो रही हो, तो उसका विश्वविद्यालय स्तर से ही तत्काल निराकरण कराया जाय।

9– राज्य सरकार का सम्बन्धित विभाग (उच्च/तकनीकी शिक्षा विभाग/चिकित्सा शिक्षा) सम्बद्धता प्रस्ताव प्राप्ति के 30 दिन के भीतर तद्नुसार संस्तुति से कुलाधिपति सचिवालय को सूचित करेगा। यदि निर्धारित अवधि में राज्य सरकार की ओर से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो, यह समझा जायेगा की प्रस्ताव में राज्य सरकार को कोई आपत्ति नही है तथा तद्नुसार निर्णय ले लिया जायेगा। साथ ही सम्बद्धता प्रस्तावों में शासन स्तर पर पाई गई कमियों का शासन स्तर पर ही निराकरण करवाने के उपरान्त ही प्रस्ताव कुलाधिपति सचिवालय को उपलब्ध कराया जाय।

10– विश्वविद्यालय स्तर से किसी भी दशा में अपूर्ण सम्बद्धता प्रस्ताव/सूचनायें राजभवन एवं शासन को प्रेषित न किये जांय। साथ ही सम्बन्धित पाठ्यक्रम जितने वर्षो का है, मानक पूर्ण होनें की स्थिति में, उसे शासनादेश संख्या 649/XXIV(3)/2016-01(30)/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2016 के अनुरूप उतने वर्षो की मान्यता प्रदान करने की संस्तुति विश्वविद्यालय द्वारा स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जाय। जहॉ किसी संस्थान को एक वर्ष से अधिक वर्ष के लिए अथवा पाठ्यक्रम की अवधि के लिए

क्रमशः—6/–

एक साथ सम्बद्धता प्रदान कर दी गई है, उस स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक वर्ष सम्बन्धितसंस्थान का आकस्मिक निरीक्षण सत्र प्रारम्भ होनें से पूर्व कराया जायेगा, इस सम्बन्ध में कार्यवाही शासनादेश संख्या 385/XXIV(4)/2017-01(01)/2017 दिनांक 16 जून, 2017 से के अनुरूप भी की जा सकेगी, जिससे यह ज्ञात हो पायेगा कि संस्थान में सम्बद्धता मानक पूर्ण हैं।

11— राज्यपाल सचिवालय में सम्बद्धता प्रस्ताव मानकों के अनुसार पूर्ण प्राप्त होनें के 30 दिन के भीतर सम्बद्धता के सम्बन्ध में मा0 कुलाधिपति महोदय की स्वीकृति/पूर्व अनुमोदन/निर्देश आदि, जैसी भी स्थिति हो, की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।

12— कुलाधिपति स्तर से प्रदत्त ऐसा सशर्त पूर्व अनुमोदन तब तक विधिमान्य नहीं होगा, जब तक कि विश्वविद्यालय कार्यपरिषद सम्बन्धित संस्थान/महाविद्यालय में मानकों के अनुरुप आधारभूत सुविधाओं की पूर्ति सुनिश्चित कराते हुये तत्सम्बन्धी मानक पूर्ण की रिपोर्ट कुलाधिपति को प्रस्तुत नहीं कर दी जाती। ऐसे सम्बद्धता प्रकरणों जिनमें कुलाधिपति जी का पूर्व अनुमोदन/सशर्त पूर्व अनुमोदन दिया गया है, विश्वविद्यालय का वरिष्ठतम अधिकारी एवं कार्यपरिषद के अध्यक्ष होने के नाते संस्थानों को सम्बद्धता दिये जाने के सम्बन्ध में कुलपति की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी की मानकों को पूर्ण कराते हुये सम्बद्धता के सम्बन्ध में कार्यपरिषद में लिये गये निर्णय की समयबद्ध/त्रैमासिक रिपोर्ट कुलाधिपति जी को प्रस्तुत करेंगे।

13— यदि सम्बद्धता प्रस्तावों में कोई त्रुटि/कमी परिलक्षित होती है अथवा सम्बद्धता प्रस्ताव विलम्ब से इस सचिवालय/शासन में प्राप्त होता है तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी विश्वविद्यालय के सम्बन्धित अधिकारी की होगी और इस सम्बन्ध में उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। संस्थानों की फैकल्टी के सम्बन्ध में समस्त विश्वविद्यालयों की ओर से सम्बद्ध संस्थानों को स्पष्ट निर्देश दिये जायं कि नियामक संस्थानों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया व शैक्षिक योग्यता के अनुसार ही फैकल्टी की नियुक्ति की जाय और प्रत्येक सत्र प्रारम्भ होनें से पूर्व फैकल्टी का विश्वविद्यालय (राजकीय महाविद्यालयों को छोड़कर) से आवश्यक रूप से अनुमोदन प्राप्त किया जाय।

14— उपरोक्त दिशा—निर्देश शासन व विश्वविद्यालय तथा संस्थान की वेबसाईट पर अपलोड किये जायं तथा प्रत्येक वर्ष सम्बद्धता प्राप्त सस्थानों की सूची शासन, विश्वविद्यालय व संस्थान की वेबसाईट पर अपडेट की जांय ताकि प्रदेश व प्रदेश के बाहर से प्रवेश लेनें वाले छात्रों को सही जानकारी उपलब्ध हो सके तथा संस्थान की सम्बद्धता के सम्बन्ध में कोई छात्र/अभिभावक भ्रमित न हो सकें।

इन दिशा—निर्देशों का समयबद्ध रुप से अनुपालन सुनिश्चित करते हुये छात्रहित में विश्वविद्यालय एवं शासन स्तर से व्यापक प्रचार प्रसार भी किया जायेगा। इन निर्देशों का शैक्षिक सत्र 2018—19 से अक्षरशः अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(रविनाथ रामन)
सचिव श्री राज्यपाल।